भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2070

11 दिसम्बर, 2025 को उत्तर दिये जाने के लिए

नमामि गंगे कार्यक्रम को अमृत मिशन के अंतर्गत शामिल करना

†2070. श्री अबू ताहेर खानः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार की नमामि गंगे कार्यक्रम को अटल नवीकरण और शहरी कायाकल्प मिशन (अमृत) के अंतर्गत लाने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान सीवेज शोधन संयंत्रों की क्षमता बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा राज्य-वार क्या पहल की गई है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) वर्तमान में, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) में, नमामि गंगे कार्यक्रम को अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) के अंतर्गत लाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) स्वच्छता राज्य का विषय है। भारत सरकार योजनाबद्ध उपायों/परामर्शिकाओं के माध्यम से राज्यों के प्रयासों में सहायता करती है। सरकार शहरी क्षेत्रों में इन्फ्रास्ट्रक्चर में सुधार हेतु विभिन्न मिशनों/योजनाओं, जैसे कि अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) तथा अमृत 2.0, के माध्यम से राज्यों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करती है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन भी शामिल है।

01 अक्टूबर, 2021 को सभी शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी)/शहरों में अमृत 2.0 का शुभारंभ किया गया, जिससे शहर 'आत्मनिर्भर' और 'जल सुरक्षित' बनेंगे। 500 अमृत शहरों में सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन की सार्वभौमिक कवरेज प्रदान करना अमृत 2.0 के प्रमुख लक्ष्यों में से एक है। अब तक, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा 67,840.59 करोड़ रुपये की

लागत वाली 588 सीवरेज/सेप्टेज परियोजनाओं को अनुमोदन दिया जा चुका है। अनुमोदित परियोजनाओं में 6,710.04 एमएलडी सीवेज शोधन क्षमता (नई/संवर्धित) शामिल है। अमृत 2.0 के अंतर्गत एसटीपी का राज्यवार विवरण अनुलग्नक-I में दिया गया है।

इससे पहले, सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन सहित बुनियादी इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए देश भर के चुनिंदा 500 शहरों (15 विलय किए गए शहरों सहित 485 शहर) और कस्बों में 25 जून 2015 को अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) की शुरुआत की गई थी। 1 अक्टूबर 2021 को अमृत 2.0 का शुभारंभ होने पर अमृत को अमृत 2.0 में शामिल कर लिया गया।

अमृत के अंतर्गत, 34,460 करोड़ रुपये की 890 सीवरेज/सेप्टेज प्रबंधन परियोजनाएँ शुरू की गई हैं, जिनसे 6,299 मिलियन लीटर प्रति दिन (एमएलडी) सीवेज शोधन क्षमता बनाई/बढ़ाई जा सकेगी। अमृत के अंतर्गत सीवेज शोधन संयंत्र (एसटीपी) की राज्य-वार जानकारी अनुलग्नक-II में दी गई है।

*****

"नमामि गंगे कार्यक्रम को अमृत मिशन के अंतर्गत शामिल करना" के संबंध में 11.12.2025 को लोकसभा में उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 2070 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक-I

अमृत 2.0 के तहत अनुमोदित एसटीपी की राज्य-वार जानकारी

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सीवेज शोधन क्षमता (एमएलडी में)
1	आंध्र प्रदेश	336.44
2	असम	9
3	बिहार	297.8
4	छत्तीसगढ	322
5	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	10
6	दिल्ली	398.79
7	गुजरात	928.1
8	हरियाणा	252.15
9	हिमाचल प्रदेश	1.1
10	जम्मू और कश्मीर	30
11	केरल	67.647
12	लद्दाख	11.1
13	मध्य प्रदेश	1084.54
14	महाराष्ट्र	1060.5
15	मिजोरम	4.1
16	नागालैंड	10.58
17	पुदुचेरी	29
18	पंजाब	82
19	राजस्थान	256.69
20	तमिलनाडु	81.506
21	तेलंगाना	1132
22	उत्तर प्रदेश	201
23	पश्चिम बंगाल	104
	कुल	6710.04

"नमामि गंगे कार्यक्रम को अमृत मिशन के अंतर्गत शामिल करना" के संबंध में 11.12.2025 को लोकसभा में उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 2070 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक-II

अमृत के तहत लगाए गए एसटीपी की राज्यवार जानकारी

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	एसटीपी क्षमता (एमएलडी में)
1	आंध्र प्रदेश	205
2	अरुणाचल प्रदेश	3
3	छत्तीसगढ	263.2
4	दिल्ली	68
5	दमन और दीव	4.21
6	गुजरात	1582.4
7	हरियाणा	276.23
8	हिमाचल प्रदेश	31.1
9	जम्मू और कश्मीर	8
10	झारखंड	36
11	कर्नाटक	210.55
12	केरल	27.8
13	मध्य प्रदेश	962.5
14	महाराष्ट्र	833
15	मेघालय	1.65
16	ओडिशा	0.12
17	पंजाब	511.75
18	राजस्थान	294.75
19	तमिलनाडु	500
20	तेलंगाना	18.25
21	उत्तर प्रदेश	408
22	उत्तराखंड	49.55
23	पश्चिम बंगाल	4.3
	कुल	**6299.36**